


सहायक कलक्टर  
(SPO) शिव  
**फर्ट अहकॉम**  
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

डी.म.जी. खादली देवी पुत्री मोहेशराम नाम टा.प्रा.पी.न.म. / मोहेशराम जाति भेववाल  
जाति-भेववाल निवासी-अरणाशिमो की बस्ती, गडरारोड तह गडरारोड जिला-बाडमेर ।  
निवासी-अरणाशिमो की बस्ती गडरारोड तह गडरारोड जिला-बाडमेर ।  
(7)

किस्म मुकदमा राजस्व वाह 88,40 अधि. मुकदमा नम्बर 61/2019  
91,188,207 RT

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24/4/2019	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>नरेन्द्र शिवा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,40, 91,188, 207 RT राजस्थान कारतकारी अधिनियम/मू-राजस्व अधिनियम के अन्तगत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेन्ट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11/6/2019 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SPO) शिव</p>	<p>TDR गडरारोड</p> <p>1410</p> <p>3.5.2019</p>
11/6/19	<p>पत्रावली पेश हुई</p> <p>वादीनी वकील उपर।</p> <p>वादीनी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र राजस्व वाद के जरिये विद्वो स्वयंज किये जाने का पत्र पेश कर लिपिक किये कि पत्रावली में उक्त पत्रावली के मध्य राजीनामा हो गया है। कल. वादीनी इस राजस्व वाद में कोई किये नही करवाना चाहती है। कल. वाद के जरिये विद्वो स्वयंज किये जाने के किये पदान करके।</p>	

होगे वादीनी अधिवक्ता को मुना एवं प्रार्थना फा व  
पत्रावली का आवलोकन किया। वादीनी द्वारा  
प्रस्तुत वाद में ऐसा कथन वादीनी अधिवक्ता  
के अपने प्रार्थना पत्र में किया है कि इस वाद  
का कोई फौजिय नही रहा है वादीनी अधिवक्ता  
के वाद को जरिअे विद्वा श्वारिज किये जाने  
का प्रार्थना फा प्रस्तुत किया है कि वादीनी  
के वाद को जरिअे विद्वा श्वारिज किये जाने  
के कोई आपत्ति प्रकट नही होती है।  
सिद्दा वादीनी का वाद डुबरी अर्रे पर  
जरिअे विद्वा श्वारिज किया जाये।

  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O) शिव

